Governance

यूआईडीएआई प्रमुख का दावा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आधार को बनाएगा और मज़बूत

रूही तिवारी • 27 September, 2018

अजय भूषण पांडेय सीईओ , यूआईडीएआई

अजय भूषण पांडे का कहना है कि आधार पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला ऐतिहासिक है क्योंकि यह बताता है कि बॉयोमीट्रिक आईडी सुशासन के मानकों को पूरा करती है और निगरानी के लिए नहीं है.

नई दिल्ली: यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (यूआईडीएआई), जो आधार के लिए नोडल एजेंसी है, का मानना है कि बुधवार के सुप्रीम कोर्ट का फैसला केवल इसलिए ऐतिहासिक नहीं हैं क्योंकि यह आधार की संवैधानिकता को कायम रखता है, बल्कि इसलिए भी क्योंकि यह कहता है कि बॉयोमीट्रिक आईडी "सुशासन और संवैधानिक विश्वास" के मानकों को पूरा करती है.

यूआईडीएआई के प्रमुख अजय भूषण पांडे ने एक विशेष साक्षात्कार में दिप्रिंट को बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया है . कोर्ट ने न केवल आधार की वैधता को बरकरार रखा है, बल्कि यह भी माना है कि आधार अधिनियम "सीमित सरकार, सुशासन और संवैधानिक भरोसे " की अवधारणा को पूरा करता है.

मत-विमत

मायावती उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ अपना गठबंधन क्यों नहीं तोड़ेंगी ?

शिवम् विज - 25 September, 2018

कांग्रेस के साथ उनकी समस्याएं निराली है. छत्तीसगढ़ में अजीत जोगी की जनता कांग्रेस के साथ गठबंधन करने का मायावती का निर्णय आश्चर्यजनक है. दावा...

बढ़ती तेल कीमतों से निपटने के लिए सॉफ्टवेयर निर्यात काफी नहीं

23 September, 2018

भाजपा का मुसलमान वोटर :अधिक शिक्षित,संपन्न और रूढ़िवादी

21 September, 2018

नमो एप्प न सिर्फ मोदी के सपनों को बेच रहा है बल्कि मोदी को भी बेच रहा...

21 September, 2018

Off The Cuff

राजनीति

चुनाव से छह महीने पहले अमित शाह को मोदी जैसी सुरक्षा दी गई

28 September, 2018

कांग्रेस के भीतर मायावती के साथ मध्यप्रदेश और महाराष्ट्र में गठबंधन करने के लिए दबाव

27 September, 2018

राजनीति की माया है उसने संतो को मोहा है

27 September, 2018

राष्ट्रीय सुरक्षा

शीर्ष अदालत ने बुधवार को आधार के पक्ष में फैसला सुनाते हुए कहा कि यह संविधान का उल्लंघन नहीं करता.

यह भी पढ़ें : *Aadhaar was a lost 'liberal' cause and even Google knew it*

यूआईडीएआई और सरकार दोनों को ही निजता के मुद्दे पर आलोचना झेलनी पड़ी है. कुछ वर्गों ने आधार के असुरक्षित होने का दावा किया है और आरोप लगाया है कि सरकार निगरानी के उद्देश्य से आधार डाटा का उपयोग करने की योजना बना रही है.

"अदालत ने माना है कि (आधार) अधिनियम निगरानी का ढांचा तैयार नहीं करता. यही नहीं, इस फैसले के अनुसार "आधार व्यक्तियों की गरिमा सुनिश्चित करता है और समाज के वंचित तबकों को शक्ति देता है."

यूआईडीएआई के सूत्रों के मुताबिक, फैसले का जोर इन मुद्दों पर होने के फलस्वरूप आधार को लेकर आम जनता की अवधारणा बदलेगी.

यूपीए की पहल

हालाँकि आधार की संकल्पना कांग्रेस नेतृत्व वाली यूपीए सरकार द्वारा की गई थी लेकिन यह नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली बीजेपी सरकार है जिसने इसे एक निर्णायक गति दिया है और एक अधिनियम लायी है. सरकार आधार को अपनी सभी कल्याणकारी योजनाओं के साथ-साथ वित्तीय पहलुओं से भी जोड़ रही है – जैसे पैन और आयकर रिटर्न.

आधार को इन योजनाओं से जोड़े जाने की कुछ वर्गों द्वारा कड़ी आलोचना की गयी है जिनका मानना है कि यह निजता पर हमला है और आगे चलकर खतरनाक साबित हो सकता है.

यूआईडीएआई के सीईओ ने आगे कहा, "एक अच्छी बात यह है कि कल्याणकारी योजनाओं के लिए आधार की अनिवार्यता को बरकरार रखा गया है ...वे सारी योजनाएं जिनमें घोटाले और गड़बड़ियां होती थीं, अब सुचारु रूप से चलेंगी."

पांडेय दावा करते हैं , "इसके अलावा कोर्ट ने पैन कार्ड और आयकर रिटर्न के साथ आधार को जोड़ने की प्रक्रिया को जारी रखा है . इससे कर चोरी, बेनामी लेनदेन इत्यादि की जांच में मदद मिलेगी, "

निजी संस्थान आधार पर ज़ोर नहीं दे सकते

हालांकि, सर्वोच्च न्यायालय ने आधार को बरकरार रखा, फिर भी इस अधिनियम के कुछ हिस्सों को बदला गया है. उदहारण के तौर पर धारा 33(2) जो "राष्ट्रीय सुरक्षा" को मद्देनज़र इस ऑथेंटिकेशन डेटा को सरकार के साथ साझा करने की इजाज़त देती थी , या फिर धारा 33 (1) जिसके अनुसार ज़िला न्यायाधीश को किसी भी व्यक्ति का आधार डाटा उपलब्ध कराया जा सकता था.

इसके अलावा, शीर्ष अदालत ने अधिनियम की धारा 57 को भी निरस्त कर दिया जिसने निजी संस्थाओं और कॉर्पोरेट निकायों को आधार अनिवार्य बनाने की अनुमति दी थी. कोर्ट ने कहा कि टेलीफोन सेवा प्रदाता और बैंक आधार पर ज़ोर नहीं दे सकते हैं.

निजी सेवाओं के लिए आधार को अनिवार्य बनाने की भी लम्बे समय से आलोचना हो रही है , खासकर मोदी सरकार के खिलाफ जिसने इसे जमकर बढ़ावा दिया है.

पांडेय कहते हैं ,"मेरा मानना है कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ सुरक्षा उपाय और प्रतिबंध लगाए हैं जो आधार को मज़बूत बनाने की राह में एक सशक्त कदम साबित होगा. अदालत ने अधिनियम की धारा 57 को निरस्त कर दिया है, जो गैर-कानूनी ढंग से निजी निगमों को अनुबंध के अनुसार आधार का इस्तेमाल करने की अनुमति देती थी.

यह भी पढ़ें : *BJP heaves a sigh of relief after Supreme Court's Aadhaar judgment*

वे आगे कहते हैं " अतः सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का अर्थ है कि आधार के किसी भी तरह के अनिवार्य उपयोग को एक कानून द्वारा समर्थित किया जाना चाहिए."

जम्मू और कश्मीर के स्पेशल पुलिस अफसरों के इस्तीफे के जवाब में मोदी सरकार ने ...

मनीष छिब्बर - 27 September, 2018

स्थानीय एसपीओ जो सेना और नियमित पुलिस के साथ मिलकर आतंकवाद से लड़ते हैं, घाटी में आतंकवादियों के लिए सबसे मुलायम चारा बनकर उभरे...

लास्ट लाफ

लास्ट लाफ: एंटीगुआ में पीएनबी और यूगांडा में नरेंद्र मोदी का गौ दान

नीरा मजूमदार - 30 July, 2018

चयनित कार्टून पहले अन्य प्रकाशनों में प्रकाशित किए जा चुके हैं जैसे प्रिंट, ऑनलाइन या सोशल मीडिया पर और इन्हें उचित श्रेय भी मिला है

अमित शाह की पाकिस्तान पर नज़र और रवांडा के लिए गायों से भरा ट्रक

28 July, 2018

पाकिस्तान चुनाव में इमरान खान की जीत और व्हाट्सएप पर फ्री स्पीच का ख़तरा

27 July, 2018

पीड़ित को अस्पताल ले जाती पुलिस की चाय ब्रेक और बच्चों को उठाने वाले संदिग्ध की हत्या

24 July, 2018

जब एक गले मिलने की प्रक्रिया ने अविश्वास प्रस्ताव के उत्साह को लिया चुरा

21 July, 2018

न्यायमूात डावाइ चद्रचूड़ द्वारा इस फसल का लकर ज़ाहर का गया असहमात (उन्हान इस संविधान के साथ धोखा बताया है) के बारे में पूछे जाने पर पांडे ने कहा कि “बहुमत से लिया गया निर्णय ही मान्य होता है. ”

Read in English : Supreme Court ruling will only strengthen Aadhaar, says UIDAI chief

टैग्स अजय भूषण पांडेय आधार कांग्रेस भाजपा यूआईडीएआई

पिछला लेख
सुप्रीम कोर्ट का फैसला, राज्यों को दी पदोन्नति में आरक्षण देने की छूट

अगला लेख
पति परमेश्वर नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने व्यभिचार कानून को असंवैधानिक करार दिया

संबंधित लेख लेखक से और अधिक

पहले आधार फिर अयोध्या, भाजपा के आये अच्छे दिन

चुनाव से छह महीने पहले अमित शाह को मोदी जैसी सुरक्षा दी गई

सुप्रीम कोर्ट का आधार पर संतुलित निर्णय और व्यभिचार कानून असंवैधानिक करार

कोई जवाब दें

टिप्पणी:

नाम:*

ईमेल:*

वेबसाइट:

Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.

टिप्पणी पोस्ट करें

Copyright © 2018 Printline Media Pvt. Ltd. All rights reserved.